संख्याः 479/XXIV-3/11/06(01)09.

प्रेषक,

मनीषा पंवार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
विद्यालयी शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–3

देहरादून दिनांकः 30 मार्च, 2011

विषयः चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 में जनपद–पौड़ी के अन्तर्गत रा0इ0का0 किन्सुर,रा0इ0का0 कुन्तणी एवं रा0इ0का0 सिलोगी के भवन निर्माण के प्रथम चरण के कार्यों हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्याः 5ख2/91243/जीर्ण–शीर्ण/2010–11, दिनांकः 11मार्च, 2011 के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय निम्नांकित तालिका के स्तम्भ–2 में उल्लिखित विद्यालयों के भवन निर्माण के प्रथम चरण के कार्यों हेतु स्तम्भ–3 में अंकित कार्यदायी संस्था द्वारा गठित आगणनों के परीक्षणोपरांत स्तम्भ–4 में अंकित विवरणानुसार कुल औचित्यपूर्ण धनराशि रू0 5.22 लाख पर वित्तीय एवं प्रशासकीय अनुमोदन प्रदान करते हुए स्तम्भ–5 में अंकित विवरणानुसार कुल रू0 5.22 लाख (रूपये पॉच लाख बाईस हजार मात्र) की धनराशि को शासनादेश संख्याः 1878/XXIV–3/10/02(36)10, दिनांकः 04 जनवरी, 2011 द्वारा प्रश्नगत योजनान्तर्गत आपके निर्वतन पर रखी गयी धनराशि रू0 2170.70 लाख में से नियमानुसार व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रदान करते हैंः

(धनराशि लाख रूपयों में)

क्रमांक	विद्यालय का नाम	कार्यदायी संस्था	टी.ए.सी. द्वारा संस्तुत धनराशि	स्वीकृति हेतु संस्तुत धनराशि
01	02	03	04	05
01	रा0इ0का0 किन्सुर,पौडी	उ.पे.सं.वि. एवं नि.नि,पौडी	1.74	1.74
02	रा0इ0का0 कुन्तणी, पौड़ी	उ.पे.सं.वि. एवं नि.नि,पौडी	1.74	1.74
03	रा0इ0का0 सिलोगी, पौड़ी	उ.पे.सं.वि. एवं नि.नि,पौडी	1.74	1.74
कुल योग			5.22	5.22

1. कार्य करने से पूर्व उक्त कार्य के संबंध में कार्यदायी संस्था से वित्त विभाग के शासनादेश सं0 475/XXVII(07)2008 दि0 15.12.08 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र पर एम. ओ.यू. अवश्य हस्ताक्षरित किया जाना सुनिश्चित किया जाय.

2. कार्य करने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियंता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शेड्यूल ऑफ रेटस में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गयी हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियंता/सक्षम अधिकारी से अनुमोदित करना आवश्यक होगा।

3. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाए।

4. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मद्देनजर रखते हुए एवं लो0नि0वि0 द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

5. कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता(कार्य की आवश्यकतानुसार) से कार्य स्थल का भली–भांति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाए तथा निरीक्षण के पश्चात दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाए।

6. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 2047/XIV-219(2006) दिनांकः 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कडाई से पालन करने का कष्ट करें.

7. यदि विभिन्न मदों हेतु स्वीकृत धनराशि अवशेष रहती है. तो उक्त धनराशि द्वितीय चरण के आगणन में समायोजित की जाय।

8. कार्य प्रारंभ कराने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय.

2. उपर्युक्त धनराशि का व्यय वर्तमान वित्तीय नियमों के अनुसार किया जाय और जहां आवश्यक हो व्यय करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी की प्राविधिक स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए। स्वीकृति की प्रत्याशा में अनानुमोदित व्यय कदापि न किया जाय।

3. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–11 के अधीन लेखा शीर्षक– 4202–शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय, 01– सामान्य शिक्षा, 202–माध्यमिक शिक्षा, –आयोजनागत, 11– राजकीय हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट कालेजों के भवनहीन/जीर्ण–शीर्ण भवनों का निर्माण,–24–वृहद निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

4– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्याः 807(P)XXVII(3)2010-11.दिनाँकः 30मार्च, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,

(मनीषा पंवार)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः 479(1)/XXIV-3/11/06(01)2009 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
3. निजी सचिव, मा0 मंत्री, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड।
4. अपर सचिव, समिति (सामान्य अनुभाग), विधान सभा सचिवालय, उत्तराखण्ड को आश्वासन संख्याः 161/2008 के अनुक्रम में।

5. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. निजी सचिव,सचिव, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड़ शासन।
7. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
8. अपर शिक्षा निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
9. जिलाधिकारी, पौड़ी।
10. कोषाधिकारी, पौड़ी।
11. जिला शिक्षा अधिकारी, पौड़ी।
12. वित्त अनुभाग–3/नियोजन प्रकोष्ठ उत्तराखण्ड सचिवालय।
13. बजट एवं राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर।
14. कम्प्यूटर सैल (वित्त विभाग) उत्तराखण्ड शासन।
15. एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
16. संम्बंन्धित निर्माण ऐजेन्सी (उ0पे0स0वि0 एवं नि0नि0,पौड़ी)
17. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जी0पी0तिवारी)
अनुसचिव।